

# ORDER SHEET

II-155  
C.J.(E)

THE COURT

221 of  
2017 B.A

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03/07/2017	<p>आवेदकगण भारतसिंह एवं मोनू द्वारा अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर उप0।</p> <p>अनावेदिका सुनीता सहित श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधि. उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अति0लोक अभियोजक उप0।</p> <p>विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्र0-216/2017 परिवाद श्रीमती सुनीता बनाम भारत आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से फरियादी सुनीता की आपत्ति का लिखित उत्तर एवं सूची सहित दस्तावेज पेश किए, जिनकी नकलें अनावेदिका/आपत्तिकर्ता को दिलायी गयीं।</p> <p>आवेदक/अभियुक्तगण भारतसिंह एवं मोनू के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-438 द0प्र0सं0 के साथ आवेदक भारतसिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि 438 द.प्र.सं. के तहत उनका यह प्रथम जमानत आवेदन है। इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या समक्ष न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न निरस्त किया है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. के संबंध में उभयपक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक भारतसिंह ग्राम पंचायत झांकरी का भूतपूर्व सरपंच होकर संभ्रात नागरिक है तथा मोनू नवयुवक होकर छात्र है। आवेदक भारतसिंह की परिवादिया सुनीता तथा उसके पति धर्मनारायण व देवर परिमाल ने सामूहिक रूप से मिलकर मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट आवेदक भारतसिंह ने थाना मौ में की, जो अपराध क्रमांक-92/2016 पर दर्ज हुई, जिसका प्रकरण श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी. गोहद के समक्ष प्रक0क्र0-280/2016 ई.फौ. के यहाँ संचालित है। परिवादिया ने अपने आपको तथा अपने पति, देवर को बचाने के लिए एक अदम चैक थाना मौ पर दि0-6/5/16 को धारा-323, 506 भा.दं.वि0 की दर्ज करायी,</p>	

और थाना मौ के द्वारा अपराध असंज्ञेय होने से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया और परिवादी ने अदम चैक में उल्लेखित धाराओं से बढ़कर गैर जमानती धारा का परिवादपत्र आवेदक भारत की मारपीट से बचने के आशय से प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को आहूत किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण सम्भ्रांत परिवार का प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके भाग जाने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। यदि पुलिस के द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो समाज में उसकी छवि धूमिल हो जायेगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

फरियादी सुनीता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदकगण उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आवेदनपत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदकगण की ओर से आपत्ति का जवाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि वह जान से मारने की धमकी नहीं दे रहे हैं और न ही उन्होंने गाली गलौज किया है और न ही शराब के लिए रूपयों की मांग की गयी है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि परिवाद के अनुसार दि०-०६/०५/२०१६ को दिन के १२ बजे के लगभग फरियादिया ग्राम नीरपुरा (झांकरी) में अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी आवेदक भारतसिंह शराब पिये हुए उसके दरवाजे पर आ गया और शराब पीने के लिए दो सौ रूपये मांगने लगा, जिसे देने से मना करने पर मां बहिन की अश्लील गालियां देने लगा, गालियां देने से मना करने पर भारतसिंह ने परिवादिया को थप्पड़ मारा और तभी उसका लड़का मोनू भी आ गया और गाली गलौज करने लगा तथा दोनों आवेदकगण ने मिलकर फरियादी की मारपीट की, जिससे उसे चोटें आयीं। जिसकी रिपोर्ट थाना मौ में की गयी, जिसपर से पुलिस के द्वारा अदम चैक लिखी गयी। परिवादिया के अनुसार जैसी रिपोर्ट की गयी, वैसी रिपोर्ट पुलिस के द्वारा नहीं लिखी गयी। इस कारण परिवादपत्र प्रस्तुत किया। दि०-३०/०५/२०१७ को विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुए आवेदकगण के विरुद्ध धारा-२९४, ३२३, ३२७ एवं ५०६ भाग-२ भा.दं.वि० के तहत संज्ञान लिया गया तथा आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध संमंस जारी किए जाने का आदेश किया गया।

अदम चैक की रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें शराब के लिए पैसे मांगने का कोई तथ्य नहीं है। केवल शराब पीकर गाली गलौच करना तथा थाप थप्पड़ों से मारपीट करने के तथ्य हैं। अदम चैक केवल धारा-३२३, ५०४ भा.दं.वि० के तहत लिखी गयी है। परिवाद एवं अदम चैक के अनुसार ही भारतसिंह पूर्व से ही शराब पिये था। आवेदकगण की ओर से

फरियादिया के पति धर्मनारायण एवं देवर परमाल एवं सुनीता के विरुद्ध उसी दिनांक को की गयी रिपोर्ट, नक्शा मौका, सुनीता के गिरफ्तारी पंचनामा, उसके मूल अपराधिक प्रकरण क्रमांक-280/2016 में भारतसिंह के कथन की फोटोकॉपी पेश की गयी है, जिसके अनुसार उक्त घटना भी दि०-06/05/2016 की ही है और 11:45 बजे की है। इस प्रकार दोनों ही घटनाओं में एक ही दिनांक और लगभग एक ही समय है। उक्त अन्य काँस प्रकरण में भी धर्म नारायण, परमाल एवं फरियादी सुनीता के द्वारा भारतसिंह एवं परमाल को गाली गलौज करने, उनकी मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के तथ्य हैं।

फरियादिया सुनीता का मामला अर्थात् यह प्रकरण परिवाद पर आधारित है, जिन धाराओं के तहत संज्ञान लिया गया है, उनमें केवल धारा-327 भा.दं.वि० अजमानतीय प्रकृति की है और शेष अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं। काँस प्रकरण भी है, जिसमें आवेदक/अभियुक्तगण भारतसिंह कुशवाह की रिपोर्ट पर से फरियादी पक्ष पर प्रकरण पंजीबद्ध और विचाराधीन है। जिसमें आवेदक पक्ष के लोगों को चोटें आना बताया गया है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्तगण भारतसिंह एवं मोनू को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपराधिक प्रकरण क्र०-216/2017 अंतर्गत धारा 294, 506 भाग-11, 323, 327 भा०दं०सं० में गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में लिया जाता है तो उनके द्वारा गिरफ्तारकर्ता अधिकारी/विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पच्चीस हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किए जावें तो उन्हें इन शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे कि आवेदक/अभियुक्तगण भारतसिंह एवं मोनू मामले कविचारण में नियमित उपस्थित होते रहेंगे, अभियोजन साक्ष्य को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, अभियोजन साक्षियों को पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देंगे तो उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे।

यदि इन शर्तों का पालन किया जाता है तभी यह आदेश प्रभावी रहेगा।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जावे।

परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावे।

(मोहम्मद अज़हर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड